न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।

दिनांक-09-12-2020

वाद संख्या-C2-84/20

कारार्धीन अभियुक्त-1. नन्दू मांझी, जिनका मामलां वाद संख्या-सी.2-84/20 अन्तर्गत धारा-30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के लिए दर्ज के संदर्भ में दि. 30-11-2020 से काराभिरक्षा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार के द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। कथित वाद में आवेदक पर लगाया गया अभियोग सरासर झुठा एवं बनावटी है। आवेदक अभियुक्त के पास से पॉच लीटर देशी चुलाई शराब बरामद होने का आरोप है, जो बिल्कुल गलत एवं आधारहीन है। आवेदक के पास से कोई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक का पूर्व का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दि0 30-11-20 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक राजीव रंजन, नि0म0नि0, शिवहर के द्वारा दि0 29-11-20 को गुप्त सूचना के आधार पर अ0नि0म0नि0 अपने अधीनस्थ मद्य निषेध कर्मियों एवं प्रतिनियुक्त सैप तथा गृहरक्षक बल की सहायता से पिपराही थानान्तर्गत हरिहरपुर मुसहरी टोला में नन्दू मांझी पिता स्व0 साहेब मांझी के घर पर छापेमारी एवं तलाशी के क्रम में उसके घर के कमरे से प्लास्टिक के एक जार में पॉच लीटर अवैध देशी चुलाई शराब बरामद किया गया, जिसको सारी वैधानिक प्रक्रिया उपस्थित गवाहों के समक्ष पूरी कर जप्त किया गया एवं बरामद सामान के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका अभियुक्त प्रस्तुत वाद की नामजद अभियुक्त है तथा प्रस्तुत वाद में दि0 30-11-2020 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है। प्राथमिकी के अनुसार प्रस्तुत वाद में आवेदक के घर के कमरे से प्लास्टिक के एक जार में पॉच लीटर अवैध देशी चुलाई शराब बरामद होने का आरोप है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त के कारा में बिताये अवधि एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्त-1. नन्दू मांझी के द्वारा मो0-10,000/- (दस हजार) रुपया के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त के दोनो जमानतदार स्थानीय होने चाहिए, जिनके पास पर्याप्त अचल सम्पत्ति हो एवं 2. आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि वे अनुसंधान एवं विचारण के दौरान पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

Khyati Singh

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।

दिनांक-09-12-2020.